न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–151/2026
(सत्र वाद सं0–328/25)
परबत्ता थाना काण्ड सं0–40/21

मनोज राय एवं अन्य – बनाम् – बिहार सरकार

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
खगड़िया।

13.03.2026

आवेदक/अभियुक्तगण–**1. मनोज राय, 2. गोपाल राय, 3. विजय राय, 4. मोहन राय एवं 5. श्रवण कुमार राय उर्फ कन्हैया राय** की ओर से दाखिल आत्मसमर्पण–सह–जमानत को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री अमरेन्द्र कुमार मिश्रा के द्वारा प्रचालित किया गया। जमानत की प्रति अभियोजन पक्ष को दी गयी है। मामला जमानत का दुरूपयोग का है। पुकार पर आवेदक/अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हुए, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदकगण प्रस्तुत मामले में जमानत पर थे तथा आवेदकगण का जमानत बंध–पत्र उचित पैरवी के अभाव में खण्डित हो गया है। आवेदकगण जान–बूझकर जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं किये हैं तथा उनकी ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दाखिल किया गया था। तथ्यों की जानकारी के बाद आवेदकगण आज स्वेच्छा से माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर जमानत की प्रार्थना कर रहे हैं। अब उनके द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जायेगी तथा प्रत्येक तिथि को उचित पैरवी की जायेगी। अतः उक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण प्रस्तुत वाद में जमानत पर थे। अभिलेख आरोप गठन के बिन्दु पर सुनवाई हेतु निर्धारित था, इसके बावजूद भी वे न्यायालय में सदेह उपस्थित नहीं हुए तो उनका जमानत बंध–पत्र दिनांक 10.10.2025 को विखण्डित कर दिया और

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–151/2026
(सत्र वाद सं0–328/25)
परबत्ता थाना काण्ड सं0–40/21

लगातार
13.03.2026

उसके विरूद्ध गैर–जमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया, तत्पश्चात् दं0प्र0सं0 की धारा–82 के तहत कार्रवाई की गयी है। आवेदकगण की ओर से यह कहा गया है कि उन्होंने जान–बूझकर जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं किये हैं, बल्कि उनकी ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दाखिल किया गया था तथा तथ्यों की जानकारी के बाद वे स्वेच्छा से आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किये हैं। अब उनके द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जायेगी तथा प्रत्येक तिथि को उचित पैरवी की जायेगी, ऐसी दशा में आवेदक/अभियुक्तगण को Cost के साथ जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए **आवेदक/अभियुक्तगण को मो0–1,000–1000/–(एक–एक हजार) रूपये प्रत्येक के द्वारा Cost के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खगड़िया में जमा करने के निर्देश के साथ** मो0–10,000/–(दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं जाँचोपरान्त, सही पाये जाने पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक अभियुक्तगण का दोनों जमानतदार उनके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
खगड़िया।